27/4/2023

अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि जिस आदेश दिनांक 15.12.2015 को इस अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है वह स्वतः ही ग्राम पंचायत , साहूवाला के द्वारा निष्प्रभावी होना घोषित कर प्रकरण को राजस्व विभाग को भिजवाया जा चुका है जहां अन्य कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं हुई है एवं यदि होगी तो उसमें पारित होने वाले किसी भी आदेश को अपीलांट अन्य अपील के माध्यम से चुनौती देने का अधिकारी होगा लेकिन हस्तगत अपील के माध्यम से चुनौती के अधीन ग्राम पंचायत साहूवाला का आदेश दिनांकित 15.12.2015 विहित 45 दिवस की अवधि व्यतीत होने एवं स्वयं ग्राम पंचायत के पत्र दिनांकित 09.02.2016 से समाप्त हो चुका है इसलिये अपील उपरोक्त विवेचन के साथ निस्तारित किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट उपरोक्त विवेचन अनुसार निस्तारित की जावें कि अपीलाधीन आदेशा स्वतः ही निष्प्रभावी हो चुका है।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि ग्राम पंचायत , साहूवाला ने आदेश दिनांक 15.12.2015 को इस अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है। ग्राम पंचायत , साहूवाला के द्वारा अपने पत्रांक 183–185 दिनांक 09.02.2016 द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर को प्रकरण निष्प्रभावी होना घोषित कर भिजवाया जाने के उपरान्त भी आज दिनांक तक ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 15.12.2015 के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस में स्वीकार किया है कि यदि ग्रांम पचांयत द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2015 के विरूद्व कोई आदेश पारित होता है तो अपीलांट अन्य अपील के माध्यम से चुनौती देने का अधिकारी होगा। फलस्वरूप ग्राम पंचायत साहूवाला का आदेश दिनांक 15.12.2015 निष्प्रभावी होने से खारिज किया जाता है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश सुनाया गया।